



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 76 /2021

1 - यशवंत कुमार सिन्हा पिता विदेश राम सिन्हा , 52 वर्ष निवासी: गाँव-सतमारा, पुलिस थाना रणचिराई,
-बालोद, छत्तीसगढ़, जिला :बालोद, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस थाना रणचिराई, जिला-बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद,
छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

अपीलार्थी (ओं) हेतु: श्री सुधांशु कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री प्रभा शर्मा, पैनल अधिवक्ता

(माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

पीठ पर निर्णय

21/01/2025

यह अपील विशेष दाण्डिक प्रकरण पॉक्सो संख्या 67/2019 में विद्वान सत्र न्यायाधीश (एफ. टी. सी),
बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा पारित दिनांक 28.11.2020 के दोषसिद्धि और दंड के आदेश के विरुद्ध
निर्देशित है, जिसके तहत अपीलकर्ता को नीचे वर्णित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है:

दोषसिद्धि	दंड
-----------	-----



भारतीय दंड संहिता कि धारा 363 के अंतर्गत	6 महीने के लिए कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर एक महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड भुगतना होगा
भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(आई) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5 (एम)/6 के तहत	10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर एक महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड भुगतना होगा
दोनों दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।	

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि 13.07.2019 को शाम लगभग 5.00 बजे जब अभियोक्ता/पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, उस समय अपीलकर्ता वहां आया और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया तथा उसकी सहेलियों को 10/- रुपये देकर कुछ खाने का सामान खरीदने के लिए भेज दिया। यह अभिकथित गया है कि अपीलकर्ता ने पीड़िता पर गंभीर यौन हमला करने की कोशिश की और जब उसने शोर मचाया तो उसे छोड़कर चला गया। जब उसकी दादी बाजार से लौटी तो उसकी सहेलियों ने घटना के बारे में बताया और अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 363, 376 आईपीसी और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एम) और 6 के तहत अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और बाल कल्याण समिति, बालोद में बयान दर्ज किया गया। घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया और अभियोक्त्री द्वारा पहने गए जन्म तिथि प्रमाण पत्र और कपड़े और स्कूल का प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर जब्त कर लिया गया। अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर उसकी चिकित्सकीय जांच भी की गई और उसके अंडरवियर को जब्त कर लिया गया और जब्त कपड़ों को रासायनिक जांच के लिए भेज दिया गया और जांच के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 363, 376 (2)(आई) आईपीसी और पोक्सो एक्ट की धारा 5 (एम)/6 के तहत आरोप तय किए। अपीलकर्ता ने अपना दोष त्याग दिया तथा निर्दोष होने का अनुरोध किया।

3. अभियुक्त का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने खिलाफ पेश सभी परिस्थितियों से इनकार किया और कहा कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने आरोपों को पुख्ता करने के लिए 11 साक्षियों का परीक्षण किया गया की।

4. अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने और यह विचार करने के बाद कि यह अपीलकर्ता है जिसने उपरोक्त अपराध किया है, उसे उपर्युक्त तरीके से दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 374 (2) के तहत अपील पेश की गई।



5. अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घटना की तारीख पर पीड़िता नाबालिग थी, लेकिन यह तथ्य वैध साक्ष्य पेश करके साबित नहीं किया गया है। इस संबंध में पीड़िता के स्कूल एडमिशन और डिस्चार्ज रजिस्टर (एक्स.पी-13 सी) को जब्त कर लिया गया है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 20.11.2011 दर्शाई गई है, लेकिन किसी भी साक्षी द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि स्कूल में उक्त जन्मतिथि किस आधार पर दर्ज की गई। यह तर्क दिया गया है कि एमएलसी रिपोर्ट एक्स.पी-15 में डॉक्टर ने पीड़िता के गुप्तांगों पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता के अलावा, उसके बयान के समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है और इसलिए, केवल पीड़िता के बयान के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराना टिकने योग्य नहीं है और अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो एक्ट का कथित अपराध नहीं बनता है, इसलिए, वह दोषमुक्त होने का हकदार है।

6. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने कहा कि पीड़िता नाबालिग थी और उसकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसके पास अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। उसने कहा कि जब उसकी दादी आई और दरवाजा खोला तो उसने पीड़िता और अपीलकर्ता को पाया। उसने आगे कहा कि पीड़िता की एकमात्र गवाही के आधार पर ऊपर वर्णित अपराध के लिए अभियुक्त की सजा के संबंध में प्रतिपादित कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के तहत एक सुस्थापित प्रस्ताव है। अंत में, वह प्रस्तुत करता है कि पीड़िता/अभियोक्ता की स्पष्ट विश्वसनीय और अखंड बयान अभियोजन पक्ष के मामले को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है और यह विश्वसनीय है। अपीलकर्ता की ओर से बताए गए विरोधाभासों को साक्षियों की गवाही को बदनाम करने के लिए महत्वहीन बताया गया है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही था और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया गया और विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख को भी अत्यंत सावधानी और सावधानी से देखा गया।

8. पीड़िता की दादी (पी.डब्ल्यू.-2) के कथनों से, जिन्होंने बताया है कि घटना दिनांक 13.07.2019 को शाम लगभग 5.30 बजे जब वह बाजार से लौट रही थी, तो गली में खेल रहे बच्चों ने बताया कि अपीलकर्ता ने 10/- रुपये दिये थे और अपने साथ ले गया था। जब वह अपीलकर्ता के घर गई और चिल्लाते हुए दरवाजा धक्का दिया और जब पीड़िता नहीं मिली, तो उसने फिर से चिल्लाया, उसी समय अपीलकर्ता अपनी पोती को बाहर ले आया। उन्होंने देखा कि पीड़िता के पूरे शरीर में पुआल फंसा हुआ था और वे उसे घर ले गईं। इसके बाद उसने घटना की जानकारी पीड़िता के माता-पिता को दी और अपीलकर्ता के खिलाफ रिपोर्ट प्र.पी-2 दर्ज कराई। श्रीमती चमेली साहू (पीडब्ल्यू-5) सहायक अध्यापिका, जिस स्कूल से स्कूल का प्रवेश और डिस्चार्ज रजिस्टर जब्त किया गया, जिसमें 20.11.2011 अंकित था। चिकित्सक (पीडब्ल्यू-6) डॉ. रेणुका प्रसन्नो ने अपनी रिपोर्ट प्र.पी-15 दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाइमन पूरी तरह से फटी हुई थी, योनी और योनि पर लालिमा थी, योनि के निचले आधे हिस्से पर सफेद वीर्य जैसा पदार्थ मौजूद था, बच्चा नाबालिग था, उसकी



उम्र लगभग 7 वर्ष थी और उसके द्वितीयक यौन लक्षण पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे। उन्होंने उम्र निर्धारण के लिए रेडियोलॉजिस्ट को रेफर किया है। आक्षेपित निर्णय और उपरोक्त गवाहों के बयानों के अवलोकन से यह पता चलता है कि पीड़िता की आयु के बारे में कोई विवाद नहीं है, जिसे अभिलेख पर विधिवत साबित किया गया है और इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष कि स्कूल अभिलेख के आधार पर पीड़िता की आयु लगभग 7 वर्ष थी, में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. यह सिद्धांत सुस्थापित है कि न्यायालय बाल पीड़ित की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बना सकता है, यदि वह विश्वसनीय और सत्य है। पुष्टि अभिलेख पर होना जरूरी नहीं है, बल्कि यह विवेक का नियम है। बाल पीड़ित की गवाही पर भरोसा करते समय न्यायालय को जो सावधानी बरतनी चाहिए वह यह है कि साक्षी विश्वसनीय, सुसंगत होना चाहिए और उसके किसी प्रकार के बहकावे या प्रभाव में आने की संभावना नहीं होनी चाहिए। प्रस्तुत किया गया विवरण अकाट्य, विश्वसनीय और उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना चाहिए, जो अपीलकर्ता को एकल साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराने में सक्षम हो।

10. जब किसी व्यक्ति पर पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध या भारतीय दंड संहिता में दंडनीय बलात्कार के लिए आरोप लगाया जाता है, तो पीड़ित की आयु ऐसे आरोप को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व होती है और जब बच्चा 18 वर्ष से कम, 12 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक का होता है तो अपराध की गंभीरता बदल जाती है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(डी) में "बच्चे" को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ अठारह वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है।

11. पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 में प्रावधान है कि न्यायालय यह मान लेगा कि अभियुक्त ने वह अपराध किया है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। हालाँकि, यह अनुमान तभी लागू होगा जब अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के संदर्भ में उचित संदेह से परे आधारभूत तथ्यों को साबित कर दे। अभियोजन पक्ष द्वारा आधारभूत तथ्य स्थापित करने के बाद, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए अनुमान को अभियोजन पक्ष के गवाहों को जिरह के माध्यम से बदनाम करके तथा अभियोजन पक्ष के संस्करण में कमियों या घटना की असंभाव्यता को प्रदर्शित करके या संभाव्यता की प्रबलता के माध्यम से अनुमान को खारिज करने के लिए बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करके खंडन किया जा सकता है।

12. जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 7 एससीसी 263 में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बच्चे की आयु निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, जो इस प्रकार हैं:

“22. नाबालिग की आयु के निर्धारण के विवाद पर, किसी को केवल किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (जिसे आगे 2007 के नियम के रूप में संदर्भित किया जाता है) के नियम 12 का संदर्भ लेने की आवश्यकता है। पूर्वोक्त 2007 नियम किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 68 (1) के तहत तैयार किए गए हैं। ऊपर उल्लिखित नियम 12 निम्नानुसार है:



“12. आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।?”

(1) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति, उस प्रयोजन के लिए आवेदन करने की दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे किशोर या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या किशोर की आयु का निर्धारण करेगी।

(2) न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, किशोर या बालक या, जैसा भी मामला हो, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की किशोरता या अन्यथाता का निर्णय, प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों के आधार पर, यदि उपलब्ध हो, करेगी और उसे संप्रेक्षण गृह या जेल में भेजेगी।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण जांच न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करके की जाएगी –

(क) (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

(ii) प्रथम बार जिस विद्यालय (प्ले स्कूल को छोड़कर) में अध्ययन किया गया था, वहां से जन्म तिथि प्रमाण-पत्र; तथा उसके अभाव में;

(iii) किसी निगम या नगर निगम प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण-पत्र;

(ख) तथा केवल उपर्युक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) में से किसी एक के अभाव में, विधिवत् गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय राय ली जाएगी, जो किशोर या बालक की आयु घोषित करेगा। यदि आयु का सही आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यदि आवश्यक समझे, तो बालक या किशोर को एक वर्ष के अंतर के भीतर उसकी आयु कम मानकर लाभ दे सकती है। यदि आयु का सही आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यदि आवश्यक समझे, तो बालक या किशोर को एक वर्ष के अंतर के भीतर उसकी आयु कम मानकर लाभ दे सकती है।

(4) यदि किसी किशोर या बालक या विधि से संघर्षरत किशोर की आयु अपराध की तिथि को 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी निर्णायक सबूत के आधार पर, न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजन के लिए आयु बताते हुए और किशोर होने या अन्यथा की स्थिति घोषित करते हुए लिखित रूप में आदेश पारित करेगी और आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(5) सिवाय इसके कि जहां आगे जांच या अन्यथा अपेक्षित हो, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 7 ए, धारा 64 और इन नियमों के अनुसार, इस नियम के उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या कोई अन्य



दस्तावेजी सबूत की जांच करने और उसे प्राप्त करने के पश्चात न्यायालय या बोर्ड द्वारा आगे कोई जांच नहीं की जाएगी।

(6) इस नियम में निहित प्रावधान उन निपटाए गए मामलों पर भी लागू होंगे, जहां किशोर की स्थिति उपनियम (3) और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं की गई है, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए अधिनियम के तहत सजा के प्रावधान की आवश्यकता होती है।"

23. यद्यपि नियम 12 केवल कानून के साथ संघर्षरत बच्चे की आयु निर्धारित करने के लिए सख्ती से लागू होता है, फिर भी हमारा विचार है कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधान आयु निर्धारित करने का आधार होना चाहिए, यहां तक कि उस बच्चे के लिए भी जो अपराध का शिकार है। क्योंकि, हमारे विचार में, जहां तक अल्पसंख्यक के मुद्दे का संबंध है, कानून के साथ संघर्षरत बच्चे और अपराध का शिकार बच्चे के बीच शायद ही कोई अंतर है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, अभियोक्ता वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू 6 की आयु निर्धारित करने के लिए 2007 के नियमों के नियम 12 को लागू करना उचित और उचित होगा। आयु को निर्णायक रूप से निर्धारित करने का तरीका, ऊपर उद्धृत नियम 12 के उप-नियम (3) में व्यक्त किया गया है। उपर्युक्त प्रावधान के तहत, नियम 12(3) में निर्धारित कई विकल्पों में से, पहले उपलब्ध आधार को अपनाकर, बच्चे की आयु का पता लगाया जाता है। यदि नियम 12(3) के तहत विकल्पों की योजना में, कोई विकल्प किसी पूर्ववर्ती खंड में व्यक्त किया गया है, तो इसका किसी बाद के खंड में व्यक्त विकल्प पर अधिभावी प्रभाव होता है। उपलब्ध उच्चतम श्रेणी का विकल्प, निर्णायक रूप से नाबालिग की आयु निर्धारित करेगा। नियम 12(3) की योजना में, संबंधित बच्चे का मैट्रिकुलेशन (या समकक्ष) प्रमाण पत्र, उच्चतम श्रेणी का विकल्प है। यदि उक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध है, तो किसी अन्य साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। केवल उक्त प्रमाण-पत्र की अनुपस्थिति में, नियम 12(3) में, बच्चे द्वारा पहली बार भाग लिए गए स्कूल में दर्ज जन्म तिथि पर विचार करने की परिकल्पना की गई है। यदि जन्म तिथि की ऐसी प्रविष्टि उपलब्ध है, तो उसमें दर्शाई गई जन्म तिथि को अंतिम और निर्णायक माना जाएगा, और किसी अन्य सामग्री पर भरोसा नहीं किया जाएगा। केवल ऐसी प्रविष्टि की अनुपस्थिति में, नियम 12(3) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर निर्भरता निर्धारित करता है। फिर भी, यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो संबंधित बच्चे की आयु निर्धारित करने के लिए किसी अन्य सामग्री पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र ही बच्चे की आयु का निर्णायक रूप से निर्धारण करेगा। उपरोक्त में से किसी के अभाव में ही नियम 12(3) संबंधित बच्चे की आयु का निर्धारण चिकित्सा राय के आधार पर करने का प्रावधान करता है।"

13. अभियोक्ता की आयु के संबंध में अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से अभियोक्ता के स्कूल प्रवेश एवं डिस्चार्ज रजिस्टर (एक्स.पी-13 सी) पर भरोसा किया है, जिसे पुलिस ने स्कूल से जब्त किया है और स्कूल की सहायक अध्यापिका श्रीमती चमेली साहू (पीडब्लू-5) द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 20.11.2011 अंकित है और स्कूल प्रवेश एवं डिस्चार्ज रजिस्टर के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि



20.11.2011 अंकित है। दाखिल खारिज रजिस्टर एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जिसे लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में रखता है। दाखिल/खारिज रजिस्टर में की गई प्रविष्टि लोक सेवक द्वारा की गई है, जिसे एक लोक सेवक द्वारा दूसरे लोक सेवक को उचित अभिरक्षा में दिया गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अनुसार, दाखिल खारिज रजिस्टर स्कूल द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है, जो प्रथम श्रेणी के दस्तावेजों के अंतर्गत आता है। बचाव पक्ष ने जन्म की उक्त तिथि को अस्वीकार करने के लिए कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए, पीड़िता की जन्म तिथि 20.11.2011 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए, विचारण न्यायालय ने यह उचित अभिनिर्धारित किया है कि पीड़िता की जन्म तिथि 20.11.2011 है और घटना की तारीख को वह 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग थी और उसकी उम्र लगभग 7 वर्ष थी।

14. वर्तमान अपील में विचारणीय विवादक यह है कि क्या पीड़िता/अभियोक्ता का बयान स्वीकार किए जाने योग्य है और क्या अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के मामले को उचित संदेह से परे स्थापित किया है।

15. यह देखना उचित है कि यौन उत्पीड़न/बलात्कार के मामलों में अभियुक्त की दोषसिद्धि क्या पीड़िता की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है, यह प्रश्न अब सुसंगत नहीं रह गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में इस विवादक पर विचार किया है तथा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोक्ता की एकमात्र गवाही विश्वसनीय पाई जाती है तो अभियुक्त को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार हो सकती है और इस तरह के मामलों में पीड़िता की विश्वसनीय गवाही स्वीकार किए जाने योग्य है।

16. जहां तक अपराध की तिथि पर पीड़िता की आयु का सवाल है, वह निश्चित रूप से अप्रिय घटना के समय 7 वर्ष की थी। अभियोजन पक्ष ने बाद में साबित कर दिया कि कथित यौन उत्पीड़न के समय पीड़िता नाबालिग थी और जब आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था, तब उसकी उम्र 7 वर्ष से कम थी।

17. इसके अलावा, पीड़िता द्वारा दी गई गवाही के अवलोकन पर, दं. प्र. सं. कि धारा 164 के तहत उसके बयान में यह देखा गया है कि उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता ने अपने शैतानी कृत्य से उसका बलात्कार किया था। न्यायालय के समक्ष अपने बयान में भी, वह सुसंगत रही है और कहा है कि अपीलकर्ता ने कहा कि वह उसे पैसे देगा और उसे अपने घर ले गया जहां पुआल रखा हुआ था और उसके कपड़े उतारने के बाद, अपने कपड़े उतार दिए और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। इसलिए, पीड़ित की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है जो सुसंगत तथा विश्वसनीय है तथा जिसमें सच्चाई का एक घेरा है। पीड़िता नाबालिग थी, जब उसकी परीक्षण किया गया था तब उसकी उम्र मात्र 7 वर्ष थी और 7 वर्षीय बच्चे की गवाही में सूक्ष्म भिन्नता समझ में आती है, जो वास्तव में उसके साथ जो हुआ है उसकी जटिलता और व्यापकता को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है।

18. अभियोक्ता द्वारा दिय गया बयान के अवलोकन से, जो प्रतिपरीक्षा में भी अखंड रही, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता द्वारा अपराध के किए जाने का वर्णन स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्दों में किया गया है और



प्रतिपरीक्षा के दौरान उसके बयान सुसंगत रही है। इसके अलावा, पीड़िता/अभियोक्ता के बयान के स्पष्ट मूल्यांकन पर, अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया यह तर्क कि अभियोक्ता एक प्रशिक्षित साक्षी है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसमें कोई योग्यता नहीं है। अपीलकर्ता अभियोक्ता के बयान का खंडन करने में विफल रहा है, जो गहन प्रतिपरीक्षा के अधीन होने के बावजूद चुनौती नहीं दी गई है। अपीलकर्ता अभियोक्ता के बयान का खंडन करने में विफल रहा है, जो गहन प्रतिपरीक्षा के बावजूद चुनौती रहित रही है। अब यदि हम गवाहों के बयानों पर गौर करें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अपीलकर्ता के विरुद्ध अभिकथित अपराध यह स्थापित करता है कि अपीलकर्ता ने अपराध किया है।

19. पीड़िता (पीडब्लू-1) ने कहा है कि घटना दिनांक अर्थात् 13.07.2019 को अपीलकर्ता उसे यह कहकर अपने घर ले गया कि वह पैसे देगा और उसके कपड़े उतारने के बाद उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और जब उसकी दादी पीड़िता को आवाज लगाती हुई आई, तो वह उसे अपने घर के बाहर ले आया। पीड़िता की दादी (पीडब्लू-2) ने बताया कि पीड़िता करीब 7 वर्ष है तथा कक्षा 3 में पढ़ती है। घटना दिनांक को शाम करीब 5.30 बजे जब वह बाजार से लौट रही थी, तो उसके घर के पास खेल रहे बच्चों ने बताया कि अपीलकर्ता ने उसे 10 रुपए दिए और पीड़िता को अपने साथ ले गया। इसके बाद वह अपीलकर्ता के घर गई और उसे आवाज लगाई और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाजा धक्का दिया और अपीलकर्ता ने पीड़िता को बाहर निकाला। उसने घटना के बारे में पीड़िता के माता-पिता को सूचित किया और पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। डॉ. पुष्पेंद्र अग्रवाल (पीडब्लू-7) चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गुंडरदेही हैं जिन्होंने अपीलकर्ता की चिकित्सकीय जांच की और रिपोर्ट एक्स.पी-18 दी। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता संभोग करने में सक्षम है। डॉ. रेणुका प्रसन्नो (पीडब्लू-6) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गुंडरदेही की चिकित्सा अधिकारी हैं, जिन्होंने पीड़िता की चिकित्सकीय जांच की और एक्स.पी-13 सी के माध्यम से रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि पीड़िता/नाबालिग ने यौन उत्पीड़न/बलात्कार सहा है और उसकी योनिच्छद फटी हुई पाई गई, योनी और योनि पर लालिमा थी, योनि के निचले आधे हिस्से पर सफेद वीर्य जैसा पदार्थ मौजूद था, बच्ची नाबालिग थी, उसकी उम्र लगभग 7 वर्ष थी और उसके द्वितीयक यौन लक्षण पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे। दाग वाले क्षेत्र को चिह्नित किया गया, सील किया गया, पैक किया गया और एफएसएल को सौंप दिया गया।

20. इस प्रश्न पर कानून की स्थिति, कि क्या बलात्कार के मामले में अभियोक्ता के शरीर पर पाए गए चोटों की अनुपस्थिति, दोषमुक्त होने का निष्कर्ष निकालेगी, सुस्थापित है। एक बालक के बलात्कार के मामले में इस विवाद्यक से निराकरण करते हुए, और सर्वोच्च न्यायालय के पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए, धारा 376 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को यथावत रखते हुए, निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

"38. रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य के मामले में, (1998) 8 एससीसी 635 में रिपोर्ट की गई, डॉक्टर की राय थी कि हाइमन के टूटने और अभियोक्ता के निजी अंग पर चोटों की अनुपस्थिति के कारण कोई बलात्कार नहीं हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि चिकित्सा राय अभियोक्ता के अन्यथा ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य को नकार नहीं सकती है।"



21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश, (2002) 5 एससीसी 745 में, एक बच्चे के बलात्कार के मामले में इसी तरह के प्रश्न पर विचार किया, जबकि अपीलकर्ताकर दंड को बरकरार रखा और उस संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, पहले के फैसलों पर भरोसा किया और निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"13. धारा 376 आईपीसी के तहत अपराध के लिए सजा बलात्कार पीड़िता की एकमात्र बयान पर आधारित हो सकती है, यह एक सुस्थापित प्रस्ताव है। पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह [(1996) 2 एससीसी 384] में, महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्र प्रकाश केवलचंद जैन [(1990) 1 एससीसी 550] का हवाला देते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया गया कि यह नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला या लड़की अपराध में सहयोगी नहीं है, बल्कि वह किसी अन्य व्यक्ति की वासना की शिकार है और उसके साक्ष्य को एक निश्चित मात्रा में संदेह के साथ परखना अनुचित और अवांछनीय है, उसे सहयोगी मानकर व्यवहार करना। न्यायालय की ओर से बोलते हुए डॉ. न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद (जैसा कि उस समय उनके प्रभुत्व थे) द्वारा उक्त निर्णय में यह भी देखा गया है कि महिलाओं की अंतर्निहित शर्मीलापन और यौन आक्रामकता के आक्रोश को छिपाने की प्रवृत्ति ऐसे कारक हैं, जिन्हें न्यायालयों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में पीड़ित के बयान महत्वपूर्ण है तथा जब तक कि उसके बयान की पुष्टि करने हेतु विवश करने वाले कारण न हों, न्यायालय को किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने हेतु अकेले यौन उत्पीड़न की पीड़िता के बयान पर कार्यवाही करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसके बयान विश्वास को प्रेरित करती है तथा विश्वसनीय पाई जाती है। ऐसे मामलों में, नियम के अनुसार, उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि की मांग करना चोट पर नमक छिड़कने के समान है।

14. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चंद [(2001) 6 एससीसी] में बेंच की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति लाहोटी ने कहा कि न्यायालय को सबसे पहले पेश किए गए तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के भरोसेमंद इरादे का आकलन करना होगा। यदि न्यायालय को पेश किए गए साक्ष्य पर भरोसा करने लायक लगता है, तो गवाही को स्वीकार किया जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, हालांकि ऐसे अन्य साक्षी भी हो सकते हैं जिनकी जांच की जा सकती थी, लेकिन उनकी जांच नहीं की गई।

22. इस प्रकार, यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि बलात्कार के मामले में अभियोक्ता के बयान की पुष्टि एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, और यह अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। अभियोक्ता के बयान, यदि पुष्ट और विश्वसनीय है, तो आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपने आप में पर्याप्त है।

23. यह कहना गलत नहीं होगा कि बाल बलात्कार के मामलों से निराकरण करने के लिए न्यायालयों के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के कठोर प्रावधानों का हवाला देते हुए, उस व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों को सावधानीपूर्वक



निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त, उस पर बलात्कार के लिए दंडात्मक विधि के तहत भी आरोप लगाए गए, जो उसके कार्यों की गंभीरता और गंभीरता को दर्शाता है।

24. अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ एवं अन्य (2018) 17 एससीसी 291 के मामले में, कंडिका 14 और 20 में, यह निम्नानुसार देखा गया है: "14. सबसे पहले, यह अधिकार के साथ कहा जाना चाहिए कि पोक्सो अधिनियम एक लिंग तटस्थ विधि है। इस अधिनियम को विभिन्न अध्यायों और भागों में विभाजित किया गया है। अधिनियम के अध्याय II जिसका शीर्षक "बच्चों के खिलाफ यौन अपराध" है, को पाँच भागों में विभाजित किया गया है। उक्त अध्याय के भाग ए में दो धाराएँ हैं, अर्थात् धारा 3 और धारा 4। धारा 3 "भेदनात्मक यौन हमला" के अपराध को परिभाषित करती है जबकि धारा 4 उक्त अपराध के लिए दंड निर्धारित करती है। इसी तरह, उक्त अध्याय के भाग बी जिसका शीर्षक "गंभीर भेदनात्मक यौन हमला और उसके लिए दंड" है, में दो धाराएँ हैं, अर्थात् धारा 5 और धारा 6। धारा 5 की विभिन्न उपधाराएँ विभिन्न स्थितियों, परिस्थितियों और व्यक्तियों की श्रेणियों से विस्तृत रूप से निपटती हैं जहाँ भेदनात्मक यौन हमला का अपराध गंभीर भेदनात्मक यौन हमले के अपराध का स्वरूप ले लेगा। धारा 5(के), विशेष रूप से, एक बच्चे की मानसिक स्थिरता पर जोर देते हुए यह निर्धारित करती है कि जब कोई अपराधी बच्चे की मानसिक या शारीरिक अक्षमता का लाभ उठाकर बच्चे पर भेदनात्मक यौन हमला करता है, तो यह गंभीर भेदनात्मक यौन हमला का अपराध माना जाएगा।"

"20. बच्चे के बारे में बोलते हुए, एम.सी. मेहता बनाम टी.एन. राज्य (1996) 6 एससीसी 756 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा "1. ... "बच्चा मनुष्य का पिता है"। एक बहादुर और जीवंत व्यक्ति के पिता बनने में सक्षम होने के लिए, बच्चे को उसके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, मनुष्य और सामग्रियों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ऐसे माहौल में खेलना चाहिए कि उम्र बढ़ने पर, वह एक मिशन वाला व्यक्ति पाया जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए मायने रखता है।"

25. आगे यह माना गया है कि "बच्चे हमारे देश के बहुमूल्य मानव संसाधन हैं; वे देश का भविष्य हैं। कल की उम्मीद उन पर मान्य है। परंतु दुर्भाग्य से, हमारे देश में, बालिकाएँ बहुत ही कमजोर स्थिति में हैं। उनके शोषण के विभिन्न तरीके हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न और/या यौन दुर्व्यवहार शामिल हैं। हमारे विचार में, इस तरह से बच्चों का शोषण मानवता और समाज के खिलाफ अपराध है।"

26. इसलिए, बच्चों और विशेषकर बालिकाओं को पूर्ण सुरक्षा की आवश्यकता है तथा उन्हें अधिक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, चाहे वे शहरी क्षेत्र में हों या ग्रामीण क्षेत्र में। जैसा कि इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश, (2002) 5 एससीसी 745 के मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया है, बच्चों को विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है और ऐसे मामलों में, इन बच्चों को उचित कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालयों के कंधों पर जिम्मेदारी अधिक होती है। निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ, (2019) 2 एससीसी 703 के मामले में, इस न्यायालय ने देखा कि यौन



शोषण का शिकार होने वाले नाबालिग को वयस्क पीड़ित से भी अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि वयस्क पीड़ित वयस्क होने के बावजूद समाज द्वारा दिए जाने वाले सामाजिक बहिष्कार और मानसिक उत्पीड़न को झेलने में सक्षम हो सकता है, लेकिन नाबालिग पीड़ित के लिए ऐसा करना कठिन होगा। नाबालिग पीड़ितों के खिलाफ होने वाले ज्यादातर अपराधों की रिपोर्ट भी नहीं की जाती, क्योंकि अक्सर अपराध करने वाला पीड़ित के परिवार का सदस्य या उसका कोई करीबी मित्र होता है। अतः, बच्चे को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है। इसलिए, ऐसे आरोपी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती, जिसने पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत अपराध किया हो और विशेषकर तब जब यह बात अदालत के सामने पर्याप्त सबूतों से साबित हो चुकी हो।

27. वर्तमान मामले में यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस आरोपी ने बलात्कार किया, उसकी उम्र लगभग 12 साल थी, जो अभियुक्त की मानसिक स्थिति या मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए, अभियुक्त किसी भी तरह की सहानुभूति और/या किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।

28. इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि यद्यपि यौन अपराधों से संबंधित मामलों में पीड़िता का अकेला साक्ष्य आम तौर पर अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त माना जाता है, लेकिन यदि अभियोक्ता की गवाही पहचानी गई खामियों और कमियों के कारण अविश्वसनीय और अपर्याप्त पाई जाती है, तो दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:

“31. इसमें कोई संदेह नहीं है कि बलात्कार के अपराध के लिए किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अभियोक्ता का एकमात्र साक्ष्य पर्याप्त है, परंतु कि वह विश्वास पैदा करे और पूरी तरह से विश्वसनीय, बेदाग और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला प्रतीत होता है। लेकिन, इस मामले में अभियोक्ता के साक्ष्य में कई खामियां हैं, जिन्हें पहले ही ऊपर पेश किया जा चुका है, जिससे यह पता चलता है कि उसका साक्ष्य उस श्रेणी में नहीं आता है और अपीलकर्ता को उक्त अपराधों का दोषी ठहराने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

32. वास्तव में उसके धारा 164 के बयान, धारा 161 के बयान (सीआरपीसी), एफआईआर और न्यायालय में बयान में भौतिक तथ्यों में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं। इसलिए, उसके साक्ष्य को स्वतंत्र रूप से पुष्ट करना आवश्यक था, जो वे रितु, उसकी बहन या बिमला देवी की जांच करके कर सकते थे, जो उसके कथित अपहरण के समय घर में मौजूद थे। अभिलेख से पता चलता है कि यद्यपि बिमला देवी को गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं की गई तथा बाद में सरकारी अभियोजक ने इस आधार पर उन्हें छोड़ दिया कि अपीलकर्ता ने उन्हें अपने पक्ष में कर लिया है।”

29. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य उत्तर प्रदेश बनाम सोनू कुशवाहा (2023) 7 एससीसी 475 के मामले में निम्न प्रकार से निर्णय दिया है:

12. पोक्सो अधिनियम को विभिन्न प्रकार के बाल शोषण के अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था और इसीलिए बच्चों पर यौन हमलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 और 10 में न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, धारा 6, अपनी स्पष्ट



भाषा में, न्यायालय को कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ती है और विचारण न्यायालय द्वारा की गई न्यूनतम सजा को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब कोई दंडात्मक प्रावधान "इससे कम नहीं होगा..." वाक्यांश का उपयोग करता है, तो न्यायालय धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और कम सजा नहीं दे सकते हैं। न्यायालय ऐसा करने में शक्तिहीन हैं जब तक कि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान न हो जो न्यायालय को कम सजा देने में सक्षम बनाता हो। हालांकि, हमें पोकसो अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित सजा भुगतने के बाद जीवन में आगे बढ़ गया है, उसके प्रति कोई नरमी दिखाने का प्रश्न ही नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि कानून न्यूनतम सजा का प्रावधान करता है, उत्तरवादी द्वारा किया गया अपराध बहुत ही भयानक है जिसके लिए बहुत कठोर दंड की आवश्यकता है। पीड़ित/बच्चे के मन पर इस घृणित कृत्य का प्रभाव आजीवन रहेगा। इसका असर पीड़ित के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि घटना के समय पीड़िता की उम्र बारह वर्ष से कम थी। इसलिए, हमारे पास उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय को अपास्त करने और विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

30. यौन अपराध की शिकार पीड़िता के साक्ष्य पर विचार करते समय, न्यायालय को घटना का लगभग सटीक विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, पीड़िता को घटनाओं के बारे में उसके स्मरण के आधार पर अपना कथन प्रस्तुत करने की अनुमति देने पर जोर दिया जाता है, जहाँ तक उसे याद करना संभव हो। यदि न्यायालय ऐसे साक्ष्य को विश्वसनीय और संदेह से मुक्त मानता है, तो उस कथन की पुष्टि करने पर शायद ही कोई जोर दिया जाता है।

35. इसी आधार पर, शिवशरणप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2013) 5 एससीसी 705 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"17. इस प्रकार, यह विधि में सुस्थापित है कि न्यायालय बाल गवाह की गवाही पर भरोसा कर सकता है और यदि वह विश्वसनीय, सत्य है और अभिलेख पर लाए गए अन्य साक्ष्यों से इसकी पुष्टि होती है तो यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विवेक के नियम के रूप में, न्यायालय अभिलेख पर रखे गए अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से पुष्टि देखना वांछनीय समझता है। साक्षी के एकमात्र बयान पर भरोसा करने के लिए लागू होने वाले सिद्धांत, अर्थात्, यह बयान सत्य और सही है और गुणवत्ता वाला है और केवल पुष्टि की कमी के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता है, एक बाल गवाह पर लागू होता है जो सक्षम है और जिसका बयान विश्वसनीय है।"

31. वर्तमान मामले में, पीड़िता अपने बयान में एकरूप रही है तथा उसने दावा किया है कि अपीलकर्ता उसे घुमाने ले जाने के बाद उसे अकेला पाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। अभियोजन पक्ष का बयान शुरू से लेकर अंत तक, प्रारंभिक बयान से लेकर मौखिक गवाही तक, अभियोजन पक्ष के मामले में कोई संदेह पैदा किए बिना एक जैसा रहा है। इस प्रकार, इस मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं था कि अधिकार और विश्वास की



स्थिति में होने के कारण, अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था, जो लगभग 7 वर्ष की नाबालिग है। दोषी की दोषिता पर पीड़िता और उसकी दादी की मौखिक गवाही ने उसके अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हुए विश्वसनीयता हासिल की। अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि धारा 363 आईपीसी और धारा 376 (2) (आई) आईपीसी और पोक्सो की धारा 5 (एम) / 6 के तहत अपीलकर्ता का अपराध निर्णायक रूप से साबित हुआ है।

37. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित कर दिया है। विधि की स्थिति में कोई उल्लंघन नहीं है और इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जब अभियोक्ता की गवाही विश्वसनीय, भरोसेमंद, निर्विवाद और विश्वास पैदा करने वाली है; अपीलकर्ता की सजा केवल इसके आधार पर कायम रह सकती है।

38. पीड़िता के साक्ष्य पर विचार करते हुए, जिसे दुराचार का खामियाजा भुगतना पड़ा, पोक्सो अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जिसके तहत विधायिका ने नाबालिग पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए हैं।

39. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की दोषसिद्धि को संदेह से परे स्थापित करने के लिए सम्मोहक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे उसके अपराध के बारे में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। परिणामस्वरूप, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दी गई दंड भी किसी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देती है। इसलिए, दिनांक 28.11.2020 के निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखा जाता है। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को न्यूनतम दंड, अर्थात् 10 वर्ष सुनाई है, इसलिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

40. अपीलकर्ता को गिरफ्तारी दिनांक 14.07.2019 से जेल में बताया गया है। उसे विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दंड पूरी करने का निर्देश दिया जाता है।

41. विचारण न्यायालय के इस निर्णय का अभिलेख और प्रति तुरंत आवश्यक जानकारी और इसके अनुपालन के लिए विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

